न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 224/2020 – निगरानी

ग्राम पंचायत परासौली जरिए ग्राम विकास अधिकारी रमेश कुमार (सचिव) ग्राम पंचायत परासौली पंचायत समिति आसीन्द जिला भीलवाडा –निगराकार	बनाम	1. हेमराज पिता लादूलाल जाट निवासी नई परासौली तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा 2. किशन नायक पिता रतन लाल नायक निवासी कंवलियास पूर्व सचिव ग्राम पंचायत परासौली हाल ग्राम विकास अधिकारी जगपुरा ग्राम पंचायत जगपुरा पंचायत समिति आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा – गैर निगराकार

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संशोधित अधिनियम 1994 बाबत् पटटा निरस्त कराये जाने बाबत्

उपस्थित –

1. श्री मांगीलाल सेन अधिवक्ता – निगराकार की ओर से

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 21.02.2023

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत परासौली के अन्दर हल्का आबादी क्षेत्र मे स्थित भूखण्ड का आवासीय पटटा पैतृक भूमि मानते हुऐ जारी किया गया है, जो कि अवैध होकर शून्य प्रभावी है। तथाकथित भूमि का पटटा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच गोपाल मारू द्वारा ग्राम पंचायत परासौली की कौरम आयोजित नहीं की व प्रस्ताव लिये बिना ही पैतृक भूमि बताकर ग्राम पंचायत में 200/–रूपये जमाकर ग्राम पंचायत परासौली के नाम से पटटा जारी कर दिया, जिस पर ग्राम पंचायत के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी किशन नायक के पटटों पर कोई हस्ताक्षर नही हैं, हस्ताक्षर किशन नायक के फर्जी किये गये हैं। इस बाबत पूर्व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी किशन नायक द्वारा एक आम सूचना राजस्थान पत्रिका में दिनांक

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

ग्राम पंचायत परासौली की कौरम आयोजित नहीं की व प्रस्ताव लिये बिना ही पैतृक भूमि बताकर ग्राम पंचायत में 200/-रूपये जमाकर ग्राम पंचायत परासौली के नाम से पटटा जारी कर दिया, जिस पर ग्राम पंचायत के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी किशन नायक के पटटों पर कोई हस्ताक्षर नही हैं। इस बाबत पूर्व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी किशन नायक द्वारा एक आम सूचना राजस्थान पत्रिका में दिनांक 22/11/2020 को प्रकाशन कराई जिसमे सर्वसाधारण को सूचित करते हुए यह अंकन किया कि ग्राम पंचायत के डुब क्षेत्र व अन्य आबादी भूमि के खसरा नम्बर/ आराजी नम्बर 13 तैरह, 8 आठ, 1502 पन्द्रह सो दो, 1503 पन्द्रह सो तीन की भूमि में पटटे् ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किये गये ग्राम पंचायत के स्वामित्व मे खाली भूखण्ड है यदि कोई व्यक्ति पुरानी तारीख के फर्जी पटटे प्राप्त करता है तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है यह पट्टे खारीज योग्य होकर उक्त भूमि के पटटे प्रक्रियात्मक नही है। पंचायत समिति मे जमा रिकॉर्ड अनुसार गायब पटटों की प्रतियां पर प्राप्तकर्ता व सचिव के हस्ताक्षर नही है। निवेदन हैं कि प्रार्थी/निगराकार का निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संशोधित अधिनियम 1994 का स्वीकार फरमाया जाकर तथाकथित पटटा दिनांक 05/09/2019 को विपक्षी संख्या 01 एक के नाम पर जारी किया जिसे निरस्त फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पत्रावली पर उपलब्ध पटटा दिनांक 05.09.2019 की सत्यापित का परीक्षण करने पर जाहिर होता हैं कि पटटे पर न तो सरपंच के हस्ताक्षर हैं एवं न ही सचिव के हस्ताक्षर हैं। जिससे प्रश्नगत पटटा विधिक रूप से पूर्णतया त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता हैं।

पत्रावली परीक्षण से जाहिर होता हैं कि तत्कालिन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत परासोली श्री किशनलाल नायक ने दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 22.11.2020 को आम सूचना प्रकाशित करवायी गयी जिसमे सर्वसाधारण को सूचित करते हुए यह अंकन किया कि ग्राम पंचायत के डुब क्षेत्र व अन्य आबादी भूमि के खसरा नम्बर/ आराजी नम्बर 13 तैरह, 8 आठ, 1502 पन्द्रह सो दो, 1503 पन्द्रह सो तीन की भूमि में पटटे् ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किये गये, ग्राम पंचायत के स्वामित्व में

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

खाली भूखण्ड है। यदि कोई व्यक्ति पुरानी तारीख के फर्जी पटटे प्राप्त करता है, तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है। यह पट्टे खारीज योग्य होकर उक्त भूमि के पटटे प्रक्रियात्मक नही है। पंचायत समिति मे जमा रिकॉर्ड अनुसार गायब पटटों की प्रतियों पर प्राप्तकर्ता व सचिव के हस्ताक्षर नही है। जिनकी निगरानिया दर्ज है।

उक्त आम सूचना प्रकाशन के उपरांत एवं इस न्यायालय द्वारा सम्मन नोटिस तामील होने के पश्चात् भी गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से निगरानी एवं आम सूचना के खण्डन में कोई प्रत्युत्तर एवं साक्ष्य दस्तावेज पेश नही हुये। जिससे न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों के मध्येनजर यह सिद्ध होता है कि उक्त प्रश्नगत पटटा पूर्णतया कूटरचित एवं फर्जी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमों की उल्लघंना कर गैर निगराकार संख्या 01 को विधि विरूद्व तरीके से जो पट्टा दिनांक 05.09.20219 को जारी किया गया, वह प्रारब्ध से ही शून्य होने से खारिज होने योग्य ठहरता हैं एवं विधि विपरीत पट्टे को खारिज किया जाना न्यायहित व राज्य हित में है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत परासोली द्वारा जारी पट्टा दिनांक 05.09.2019 को निरस्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति आसीन्द एवं ग्राम पंचायत परासोली पंचायत समिति आसीन्द को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा